भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 02
21.07.2025 को उत्तर के लिए

मानव-वन्यजीव संघर्षों का प्रबंधन

02. श्री एस. जगतरक्षकन :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मानव-वन्यजीव संघर्षों की दर्ज घटनाओं की संख्या और हुई आर्थिक हानि सहित इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) मानव-वन्यजीव संघर्षों को कम करने के लिए इस संबंध में लागू की गई किसी विशिष्ट रणनीति या कार्य-योजना सहित सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ग) मानव-वन्यजीव संघर्षों के प्रभावी प्रबंधन, विशेष रूप से संसाधनों और सामुदायिक सहभागिता के संदर्भ में आने वाली चुनौतियों का ब्यौरा क्या है;
(घ) संघर्ष शमन प्रयासों में स्थानीय समुदायों की भूमिका क्या है और क्या उन्हें शामिल करने के लिए कोई कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं; और
(ङ) क्या वन्यजीव संरक्षण के बारे में समुदायों को शिक्षित करने और सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए कोई उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ) देश के विभिन्न भागों से मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई हैं। ऐसे आंकड़े मंत्रालय स्तर पर एकत्रित नहीं किए जाते हैं। मानव-वन्यजीव संघर्षों के प्रबंधन और उपशमन हेतु सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्न प्रकार से हैं :

i. मंत्रालय द्वारा मानव-वन्यजीव संघर्ष से निपटने के संबंध में फरवरी 2021 में एक परामर्शिका जारी की गई है। उक्त परामर्शिका में समन्वित अंतर-विभागीय कार्रवाई करने, संघर्ष के प्रमुख स्थलों की पहचान करने, मानक प्रचालन प्रक्रियाओं के अनुवर्तन, त्वरित प्रतिक्रिया दलों के गठन, अनुग्रह राशि के शीघ्र भुगतान के संबंध में इसकी मात्रा की समीक्षा के लिए राज्य और जिला स्तरीय समितियों के गठन, व्यक्तियों की मृत्यु होने और चोट लगने के मामले में प्रभावित व्यक्तियों को अधिमानतः 24 घंटे के भीतर राहत राशि का शीघ्र भुगतान करने संबंधी मार्ग-दर्शन और अनुदेश जारी करने की संस्तुति की गई है।

ii. इस मंत्रालय ने फसलों को होने वाली क्षति सहित मानव-वन्यजीव संघर्षों के प्रबंधन के संबंध में दिनांक 03 जून, 2022 को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) का लाभ उठाने की सलाह दी गई है। पीएमएफबीवाई के संशोधित प्रचालन संबंधी दिशा-निर्देशों के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वन्य पशुओं के हमले के कारण फसल का नुकसान होने पर अतिरिक्त मूल्यापेक्षी समावेशन प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा, इसमें वन सीमांत क्षेत्रों, जो वन्य पशुओं के लिए अरुचिकर हैं, में फसलों का संवर्धन और वृक्ष/झाड़ी प्रजातियों के साथ उपयुक्त रूप से मिश्रित मिर्च, लेमन ग्रास, खस घास आदि जैसी नकदी फसलों सहित कृषि वानिकी मॉडल शामिल हैं। इसमें अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में विभिन्न स्कीमों के तहत राज्य कृषि/बागवानी विभाग द्वारा वैकल्पिक फसल के लिए व्यापक दीर्घकालिक योजना तैयार करना और उसका क्रियान्वयन भी शामिल है।

iii. इस मंत्रालय ने हाथी, गौर, तेंदुआ, सांप, मगरमच्छ, रीसस मकाक, जंगली सुअर, भालू, नील गाय और काला हिरण के साथ होने वाले मानव-वन्यजीव संघर्षों को कम करने के लिए दिनांक 21.03.2023 को मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थितियों से निपटने के लिए प्रजाति-विशिष्ट दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।

iv. केंद्र सरकार, केंद्र प्रायोजित स्कीमों, 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास तथा बाघ और हाथी परियोजना' के तहत वन्यजीवों और उनके पर्यावासों के प्रबंधन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को वन्य पशुओं द्वारा किए गए विनाश के लिए मुआवजे और वन्य पशुओं को फसल वाले खेतों में प्रवेश करने से रोकने के लिए कंटीली तार की बाड़, सौर ऊर्जा चालित विद्युत बाड़, कैक्टस का उपयोग करके जैव-बाड़, चारदीवारी आदि जैसे भौतिक अवरोधों के निर्माण जैसे व्यापक कार्यकलापों और क्षमता निर्माण के लिए सहायता सहित वित्तीय सहायता प्रदान करती है और मानव-वन्यजीव संघर्ष के पीड़ितों को अनुग्रह राशि भी प्रदान करती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारण लगने वाली चोटों सहित पशुधन, फसलों और मानव जीवन की हानि होने के मामले में राज्य दर राज्य अलग-अलग मानदंडों के अनुसार अनुग्रह राशि का भुगतान करते हैं।

v. वन्य पुशओं और उनके पर्यावासों के संरक्षण हेतु वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के तहत पूरे देश में महत्वपूर्ण वन्यजीव पर्यावासों को शामिल करते हुए संरक्षित क्षेत्रों अर्थात राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, संरक्षण रिजर्वों और समुदाय रिजर्वों के नेटवर्क का सृजन किया गया है।

vi. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 11(1)(क) के तहत राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डनों को उक्त अधिनियम की अनुसूची-I में आने वाले पशुओं के मानव जीवन के लिए खतरनाक हो जाने पर उनका शिकार करने की अनुमति देने के लिए शक्ति संपन्न बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 11(1)(ख) के तहत राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन या किसी प्राधिकृत अधिकारी को इस अधिनियम की अनुसूची-II के तहत आने वाले वन्य पशुओं को जान-माल के लिए खतरनाक हो जाने पर उनका शिकार करने की अनुमति देने की शक्ति प्रदान की गई है।

vii. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 33 के तहत निहित उपबंधों के अनुसरण में इस मंत्रालय ने संरक्षित क्षेत्रों और अन्य भूदृश्य घटकों संबंधी प्रबंधन योजना तैयार करने की प्रक्रिया हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं।

viii. यह मंत्रालय, पूर्व-चेतावनी प्रणालियों और आधुनिक प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण हेतु भारतीय वन्यजीव संस्थान-एसएसीओएन जैसे संस्थानों के माध्यम से राज्य वन विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को क्षमता निर्माण संबंधी सहायता भी प्रदान करता है।

ix. संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मीडिया के विभिन्न रूपों के माध्यम से सूचना के प्रसार सहित मानव-वन्यजीव संघर्ष के संबंध में आम जनता को संवेदनशील बनाने, उनका मार्गदर्शन करने और उन्हें सलाह देने के लिए आवधिक रूप से जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं।

*****